न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 3/2018 (राजसमन्द आर्डर)

उदयसिंह राजपूत आत्मज श्री नवलसिंह राजपूत, निवासी नया कुंआ, पीपरड़ा, तहसील व राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती लेहरीबाई आत्मज स्वर्गीय नवलसिंह जी पत्नी तख्तसिंह जी राजपूत, निवासी जोरमिया हाल पीपरड़ा, तहसील व राजसमन्द (राज.)
2. भंवरसिंह राजपूत आत्मज श्री नवलसिंह राजपूत, निवासी नया कुंआ, पीपरड़ा, तहसील व राजसमन्द (राज.)
3. शिवसिंह राजपूत आत्मज श्री नवलसिंह राजपूत, निवासी नया कुंआ, पीपरड़ा, तहसील व राजसमन्द (राज.)
4. फतेहसिंह राजपूत आत्मज श्री नवलसिंह राजपूत, निवासी नया कुंआ, पीपरड़ा, तहसील व राजसमन्द (राज.)
5. हरिसिंह राजपूत आत्मज श्री नवलसिंह राजपूत, निवासी नया कुंआ, पीपरड़ा, तहसील व राजसमन्द (राज.)
6. उपपंजीयक अधिकारी/तहसीलदार, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द
दिनांक 08.06.2017 प्र॰सं॰ 331/17

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री मोहम्मद रफीक छीपा/आरती वैष्णव अभि. अपीलान्ट

2. श्री के. एल. सिंघवी/सुधा मेहता अभिभाषक रे.सं. 2

3. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक रेस्पो. सं. 6

———::———

निर्णय दिनांक

12—06—2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम पीपरड़ा में आराजियात जो प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित हैं, कुल किता 19 रकबा 37 बीघा भूमि स्थित है। उक्त भूमियां प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 1 से 5 के पूर्वाधिकारी नवलसिंह के खातेदारी व आधिपत्य की थी, जिनका स्वर्गवास सन् 2001 में हो गया। नवलसिंह के स्वर्गवास के बाद विपक्षी संख्या 1 से 5 ने आपसी मिलीभगत से उक्त भूमियां राजस्व रेकार्ड में अपने नाम दर्ज करवा ली तथा प्रार्थीया व उसकी बहनों का नाम दर्ज नहीं कराया, जबकि उक्त आराजियात में प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 से 5 प्रत्येक का 1/9, 1/9 हिस्सा है। प्रार्थीया के पक्ष में मूल वाद की प्रतिवादी संख्या 8 द्वारा अपना 1/27 हिस्सा विकय कर दिये जाने से प्रार्थीया अपना 1/9 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 8 का 1/27 हिस्सा घोषणा कराने की अधिकारिणी हैं। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूलवाद के निस्तारण तक विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखा जाकर अपने निर्णय दिनांक 08—06—2017 से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूलवाद के निस्तारण तक मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 5 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 04—01—2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को प्रथम बार दिनांक 13—12—2017 को तब हुई जब रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने

अपीलान्ट को उसके कब्जे शुदा भूमि से बेदखल करने की धमकी दी। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन पर उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि राजस्व कैम्प में दिनांक 08–06–2017 को प्रकरण रखे जाने की सूचना अपीलान्ट/विपक्षो को दिये जाने की कोई साक्ष्य नहीं है। अतः न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब करने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से वकील श्री के. एल, सिंघवी व सुधा मेहता उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 की ओर से औपचारिक पक्षकार श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली के रेकार्ड पर है।

दौराने बहस अभिभाशक अपीलान्ट ने अपील मीमों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को समझा ही नहीं है। अपीलान्ट का विवादित भूमि पर कब्जा है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अस्थाई निषेधाज्ञा के मामले में कब्जे और वर्तमान स्थिति को देखा जाना आवश्यक है, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट के कब्जे शुदा आराजीयात में दखलन्दाजी नहीं करने हेतु रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को पाबन्द किया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 के विद्वान वकील ने लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहरा तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को

उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार सही होना बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय में पत्रावली दिनांक 26–05–2017 को नियत थी, किन्तु उक्त दिनांक की कोई आदेशिका ही उपलब्ध नहीं है तथा अचानक दिनांक 08–06–2017 को प्रकरण लोक अदालत में रखा जाकर अपीलान्ट/विपक्षी की अनुपस्थिति में बिना उसे सुने अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी गयी है, जो प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08–06–2017 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्ट/विपक्षो को सुनवाई का अवसर देकर साक्ष्य सबूत के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 13–08–2019 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 12–06–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील
अधिकारी
उदयपुर